सं.45/22/97-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(सी.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली 110 003

दिनांक: 03.02.2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने या नि:शक्तता से ग्रस्त हो जाने के मामलों में विशेष प्रसुविधाएँ- नि:शक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की अदायगी-पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि विभिन्न परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने या नि:शक्तता से ग्रस्त हो जाने पर की जाने वाली प्रतिपूर्ति के निर्धारण हेतु मामलों को मोटे तौर पर निम्नलिखित पाँच सुस्पष्ट श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :-

श्रेणी 'क' मृत्यु या नि:शक्तता सरकारी सेवा के कारण न होकर, प्राकृतिक कारणों से हुई हो । उदाहरणार्थ चिरकालिक हृद्य रोग और गुरदे की बीमारी लम्बे अर्से से अस्वस्थता, ड्यूटी पर न रहते हुए दुर्घटना आदि ।

श्रेणी 'ख' मृत्यु या नि:शक्तता जिनका कारण सरकारी सेवा मानी गई हो या नि:शक्तता जो सरकारी सेवा के कारण बढ़ी हो । अत्यधिक गरम या ठण्डे वातावरण या व्यावसायिक खतरे की वजह से प्रतिकूल स्थिति में लगातार कार्य करने के कारण हुई बीमारियों के परिणामस्वरूप मृत्यु होना या नि:शक्तता से ग्रस्त होना इसके उदाहरण होंगे ।

श्रेणी 'ग' ड्यूटी करते समय दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या नि:शक्तता से ग्रस्त होना । ड्यूटी के समय सरकारी वाहनों अथवा सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय दुर्घटना, ड्यूटी पर रहते हुए सरकारी हवाई जहाज में यात्रा के दौरान दुर्घटना, समुंद्री यात्रा करते समय दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान विद्युतमारण (इलैक्ट्रोक्यूशन) इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं ।

श्रेणी 'घ' ड्यूटी करते समय अथवा अन्यथा आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के कारण मृत्यु या नि:शक्तता ग्रस्त होना । प्रदर्शनकारियों पुलिस कार्मिकों आदि सहित अन्य लोक सेवकों के आन्दोलनों, दंगों अथवा विद्रोह का दमन

----2/-

करने में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु काम में लगाए गए केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों की मृत्यु या उनकों पहुँची चोट के मामलों के अलावा सार्वजनिक स्थलों अथवा परिवहनों में बम विस्फोट, लोगों आदि पर अंधाधुंध गोलियाँ चलने की घटनाएँ इस श्रेणी में शामिल होंगी ।

श्रेणी 'ड.' (क) उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हमले या उनके विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुए हमले और (ख) अन्तरराष्ट्रीय युद्ध अथवा सीमा मुठभेड़ तथा युद्ध-तुल्य परिस्थितियों में शत्रु की कार्रवाई जिसमें (i) कार्रवाई (ऑपरेशनल) क्षेत्र में जाते समय उग्रवादी कार्रवाई, बारूदी सुरंग फटना आदि (ii) उग्रवादियों के द्वारा अपहरण और (iii) प्रशिक्षण अभ्यास के अंग स्वरूप असली गोला-बारूद से युद्धाभ्यास भी शामिल है, के परिणामस्वरूप मृत्यु या निःशक्तता ग्रस्त होना ।

2. पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने, इस विषय पर मौजूदा प्रावधानों को आशोधित करने हेतु, उपर्युक्त श्रेणियों हेतु विभिन्न राहत पैकेजों की सिफारिश की ।

3. आयोग की सिफारिशें कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रही हैं । अनुग्रह-राशि के भुगतान संबंधी आदेशों को इस विभाग के दिनांक 11.09.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/55/97-पी. एंड पी. डब्ल्यू. (सी.) के तहत पहले ही जारी किए जा चुके हैं । निःशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने अब निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

(i) श्रेणी (क) में आने वाले मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के मौजूदा सामान्य प्रावधानों से ही व्यवस्थित होते रहेगें ।

(ii) (ख), (ग), (घ) और (ड.) श्रेणियों में आने वाले मामलों में, कुटुम्ब पेंशन/ निःशक्तता पेंशन के पैमाने निम्नानुसार होंगे :-

I. <u>ख और ग श्रेणियों हेतु कुटुम्ब पेंशन</u>

(1) असाधारण कुटुम्ब पेंशन की राशि का निर्धारण करने हेतु बिना बच्चों वाली व बच्चों वाली विधवाओं के बीच विभेद समाप्त हो जाएगा । सभी श्रेणियों की विधवाओं हेतु असाधारण कुटुम्ब पेंशन की मासिक राशि निम्नानुसार होगी :-

(क) जहाँ दिवंगत सरकारी कर्मचारी ने पेंशनी पद धारण किया हुआ नहीं था: मूल वेतन का 40% किन्तु न्यूनतम 1650/- रु. ।

...3/-

(ख) जहाँ दिवंगत सरकारी कर्मचारी ने एक पेंशनी पद धारण किया हुआ था: मूल वेतन का 60% किन्तु न्यूनतम 2500/= रू. ।

(2) ऐसे मामलो में जहाँ किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पुनर्विवाह कर लेती है वहाँ बच्चों को यथास्थिति ऊपर (क) या (ख) में उल्लिखित दरों पर कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी और पेंशन की वही दर पितृहीन/मातृहीन संतान के लिए भी लागू होगी । उपर्युक्त दोनों ही मामलों में बच्चों को कुटुम्ब पेंशन उसी अवधि के दौरान दी जाएगी, जिसके लिए वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के अन्तर्गत कुटुम्ब पेंशन के पात्र होंगे । आश्रित माता-पिता/भाईयों/बहनों आदि को विधवाओं/पितृहीन/मातृहीन संतान के लिए लागू पेंशन-दर की आधी दर पर कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी ।

II 'घ' और 'ड.' श्रेणियों के अन्तर्गत कुटुम्ब पेंशन

(1) 'घ' और 'ड.' श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में कुटुम्ब पेंशन का निर्धारण, उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड योजना के मौजूदा प्रावधान के अनुसार किया जाएगा ।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित न हो किन्तु बच्चा/बच्चे जीवित हों तो कुल मिलाकर उसके सभी बच्चे मूल वेतन का 60% की दर से कुटुम्ब पेंशन पाने के हकदार होंगे किंतु पेंशन की न्यूनतम राशि 2500/= रु. होगी । अब तक स्वीकार्य संतान भत्ता समाप्त हो जाएगा ।

(3) यदि मृत सरकारी कर्मचारी अविवाहित अथवा नि:संतान विधुर हो तो आश्रित पेंशन धन संबंधी परिस्थितियों को नजरदांज करते हुए उसके माता-पिता को, दोनों जीवित होने पर अंतिम आहरित वेतन के 75% और केवल एक के जीवित होने पर 60% की दर से अनुज्ञेय होगी ।

III 'ख' और 'ग' श्रेणियों में शामिल मामलों हेतु नि:शक्तता पेंशन

(1) 100 % नि:शक्तता के लिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत स्वीकार्य सामान्य पेंशन और उपदान के साथ-साथ मूल वेतन के 30% के बराबर नि:शक्तता पेंशन ।

(2) नि:शक्तता का प्रतिशत कम होने पर मासिक नि:शक्तता पेंशन जैसा कि वर्तमान में लागू है आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी बशर्ते कि जहाँ स्थायी नि:शक्तता 60%

-----4/-

से कम न हो, कुल पेंशन (अर्थात् सामान्य पेंशन नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य पेंशन या सेवा उपदान के साथ-साथ उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत उल्लिखित नि:शक्तता पेंशन) मूल वेतन के 60% से कम नहीं होगी और इसकी न्यूनतम राशि 2500/= रु. होगी ।

IV **'घ' श्रेणी के अन्तर्गत शामिल मामलों हेतु नि:शक्तता पेंशन**

(1) 100% नि:शक्तता के लिए, नि:शक्तता पेंशन जिसमें सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन के बराबर सेवा अंश और कर्मचारी के नि:शक्त होने की तारीख को उसके वेतन के आधार पर, उसके सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने की तारीख तक सेवा का शुमार करके उपदान जिसका कर्मचारी पात्र हुआ होता, शामिल हों और सामान्य कुटुम्ब पेंशन की राशि के बराबर नि:शक्तता अंश इस शर्त के अधीन शामिल हो कि सेवा और नि:शक्तता अंश दोनों मिलाकर अंतिम आहरित वेतन के 80% से कम नहीं हो ।

(2) नि:शक्तता का प्रतिशत कम होने पर जैसा कि वर्तमान में लागू है नि:शक्तता अंश आनुपातिक रूप से कम जो जाएगा ।

V **'ड.' श्रेणी में शामिल मामलों हेतु नि:शक्तता पेंशन**

(1) 100% नि:शक्तता के लिए, नि:शक्तता पेंशन जिसमें सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन के बराबर सेवा अंश और कर्मचारी के नि:शक्त होने की तारीख को उसके वेतन के आधार पर, उसके सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने की तारीख तक सेवा का शुमार करके उपदान जिसका कर्मचारी पात्र हुआ होता, शामिल हों और अंतिम आहरित वेतन की राशि के बराबर नि:शक्तता अंश इस शर्त के अधीन शामिल हो कि सेवा और नि:शक्तता अंश दोनों मिलाकर अंतिम आहरित वेतन से अधिक न हो ।

(2) नि:शक्तता का प्रतिशत कम होने पर जैसा कि वर्तमान में लागू है नि:शक्तता अंश आनुपातिक रूप से कम जो जाएगा ।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (अ.पे.) नियमावली और उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड योजना की अन्य शर्तों और निवन्धन जिन्हें इन आदेशों के तहत विशेष रूप से आशोधित नहीं किया गया है पहले की तरह लागू रहेंगे ।

5. पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया । सरकार ने उन पर भी विचार कर लिया है । अब राष्ट्रपति ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

(i) प्रसुविधाओं का हिस्सा बनने वाली नि:शक्तता के परिकलन के प्रयोजन से नि:शक्तता या कार्यात्मक अक्षमता की सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकित अशक्तता का प्रतिशत	**नि:शक्तता अंश परिकलित किए जाने हेतु माना जाने वाला प्रतिशत**
50 से कम	50
50 से 75 तक	75
76 से 100 तक	100

(ii) अशक्तता की सीमा के बारे में चिकित्सा बोर्ड का निर्णय तब तक अंतिम और बाध्यकारी होगा जब तक कि कर्मचारी स्वंय बोर्ड को गठित करने वाले प्राधिकारी के आसन्न उच्चतर प्राधिकारी से उसकी पुनरीक्षा करने की अपील न करे । अपील स्वीकृत होने और पुन: जाँच हेतु चिकित्सा बोर्ड गठित किए जाने की स्थिति में ऐसे बोर्ड का निर्णय सभी पार्टियों हेतु बाध्यकारी होगा ।

नि:शक्तता की निर्धारित और स्वीकृत सीमा को यथावत अन्तिम माना जाएगा और कर्मचारी से समय-समय पर नि:शक्तता रहने संबंधी प्रमाणपत्र लेने हेतु चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(iii) विभिन्न विभागों और कार्यालयों को, इस विषय पर जारी सरकारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार नि:शक्तता/कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने का अधिकार होगा । जब आवश्यक हो वे, वित्तीय सलाहकार के परामर्श से इस अधिकार का प्रयोग करेंगे । केवल उन्हीं मामलों के संबंध में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग को संदर्भ भेजा जाएगा जो पूरी तरह सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों और अनुदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

-----6/-

6. ये आदेश 01.01.1996 से प्रभावी होंगे । 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के पिछले मामलों को, इस विभाग के दिनांक 27.10.1998 के का. ज्ञा. सं. 45/86/97-पी. एंड पी. डब्ल्यू.(ए.)-भाग-IV के अनुसार संशोधित किया जाएगा । तथापि ऐसी समेकित पेंशन, इस विभाग के दिनांक 17.12.1998 के का.ज्ञा.सं.45/10/1998-पी.एंड पी.डब्ल्यू. (ए.) के उपबंधों के अध्यधीन होगी ।

7. इसे, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 06.01.2000 के अ.शा.सं. 20/EV/2000 के अन्तर्गत दी गई उनकी सहमति से जारी किया जाता है ।

8. जहाँ तक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए गए हैं ।

पी.के. ब्रह्मा

(पी. के. ब्रह्मा)
भारत सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषितः मानक सूची के अनुसार ।